न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 105/2020 (GCMS No. 2020/00105) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मदन पुत्र सीताराम जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवारी बैरना तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

...........अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार तहसील खण्डार।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।

..........रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 22.02.2018 मुकदमा नं. 15/18 उनवानी मदन बनाम सरकार एवं निर्णय नायब तहसीलदार खण्डार दिनांक 21.11.2017 प्रकरण संख्या 155/17 उनवानी सरकार बनाम मदन।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर

उपस्थितिः—

1. श्री कमल किशोर सैनी
2. श्री कमलेश गुर्जर } वकील अपीलान्ट
3. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक : 10.07.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 22.02.2018 एवं नायब तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 21.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 122 रकवा 1.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वांके ग्राम बैरना पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सिविल कारावास एवं पेनेल्टी से दण्डित किया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जो द्वारा पत्रावली पर

है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर माधोपुर में उक्त आदेश की अपील करने पर मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेंस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 122 रकवा 1.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वांके ग्राम बैरना पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सिविल कारावास एवं पेनेल्टी से दण्डित किया है। नायब तहसीलदार द्वारा मात्र हल्का पटवारी द्वारा मिथ्या बयानों के आधार पर बिना किसी जिरह का अवसर दिये ही निर्णय पारित किया है। केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये गये है। नायब तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर पश्चातवर्ती होने का कोई रिकार्ड नहीं है, न ही पूर्व में पारित बेदखली है। इस कारण से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। उक्त अतिक्रमण के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इस विधिक बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपना निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। माननीय न्यायालयों की आड में पुलिस थाने वाले प्रार्थी को गिरफ्तार करने पर आमादा है जबकि यह समय खेती बाडी का है जिसके अभाव में फसल काश्त के अभाव में बर्बाद हो जायेगी। तथा बाल–बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार का आदेश दिनांक 21.11.2017 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में इस बात का शपथ पत्र अपील के साथ ही प्रस्तुत किया है कि उसने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है और भविष्य में वह विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसलिए न्यायहित में उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि वह इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूपेण हटा लिया है और भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार खण्डार उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का मौके पर सत्यापन करेंगे। अपीलान्ट द्वारा कोई चूक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट पर लगाई गई शास्ती व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर